## असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग- 1 खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

## लखनऊ, शुक्रवार, 8 सिंतम्बर, 2006

भाद्रपद 17, 1928 शक सम्वत्


भभारत का संविधन" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए अरक्षण) विधेयक. 2006 पर दिनांक 7 सितम्बर. 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 .सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम ह्वारा प्रकाशित किया ज़ाता है :-

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अंनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2006)
।जैसा उत्तर प्रदेश विधाण मण्डल द्वारा परिते। हुआ।
भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिप्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संसथाओं से भिन्ं पौक्षणिक संरथाओं, जिनके अन्तर्गत निंजी शैक्षणिक-संस्थाएं भी हैं, चाहें वे राज्य द्वारा रहहायता प्राप्त हों या गैर सहायता प्राप्ज हों. में अगुसूधित जातियों. अनुरूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों से संबंधित च्यकितयों कें पक्ष में प्रवेश में आरक्षण देने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विपयों की व्यवस्था करने वे लिए

> अधिनियम

गारत गणराज्य के सत्तावनकें वर्ष में निम्नलिखित अधितियम बनाया जाता है०-
1-(1) यह अधिंतियम उत्तर प्रदेश शैध्रणिक संर्थाओं औों प्रवेश (अनुसूंिित जातियों. अनुसूच्चित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिए आरक्षणः अधितियद. 2006 कहां

संद्धिप्त नाराँ प्रारण जाएगा।
(2) यह़ 10 जुलाई, 2006. को प्रवृत्त हुआ समझा जाएग।

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट 8 सितम्बर, 2006
2-यह अधिनियम भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्देप्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थ्ताओं रो भिन्न शैक्षणिक संस्थाओं जिनके अन्तर्गत निजी शेक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त हों, गें हो रहे सभी प्रवेशों पर लागू होगा।

3-जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो. इस अधिनियम में.
(क) "किसी प्रवेश के सन्बन्ध में शैक्षणिक वर्ष का तात्पर्य किरी कलैण्डर वर्ष, जिराके गीतर पवेश की "प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय, की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बाहर मास की अवधि से है:
(ख) "सहायता प्राप्त संरथा" का तात्पर्य अल्पसंख्यक रांरथाओं को छोड़क्फरे किसी ऐसी निजी शैक्षणिक संरथा, से है जो राज्य सारकार से या राज्य रारकार के नियन्त्रणाधीन सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता वितरि। करोे वाली किसी निकाय से आवर्ती सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता अंशत: या पूर्णाः: प्राप्त कर रही हो;
(ग) "समान्य अभ्यर्थी" का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी से है जो योग्यत्त। के आधार पर किसी अनारक्षित सीट पर चयनित हुआ हो;
(ध) संस्था के प्रधान का तात्पर्य किसी समिति जो रांस्था चला रही हो के अध्यक्ष या प्रवन्धक या सचिव से, है और उसके अन्तर्गत संरथा का निदेशक. प्रधानाचार्य और कोई प्रशासनिक अध्यक्ष भी हो;
(ङ) "शैक्षणिक संस्था" का तात्पर्य-
(एक) सक्षम सांविधिक निकाय द्वारा अनुपोदित या मान्यता प्राप्त किरीी ऐरो कॉलेज़ या स्कूल। या ऐसी संस्था, चाहे उसे किसी भी नाम रो पुकारा जायय. रो है जो शिक्षा प्रदान कर. रही हो तथा जो किसी राज्य विश्वविद्यलय से सम्वाद्ध हो, जिराके अन्तर्गत रांज्य विधान गण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगगिल कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयो। अधिनियग, 1956 की धारा 3 के अधीः परिभाषित किसी समविश्वविद्यालय की कोई ऐसी घटक इकाई गी है जो शिक्षा शदान कर रही. हो;
(दो) सक्षम साविधिक निकाय द्वारा अनुपोदित या गान्यता प्रापः ऐरो कालेज़ या सकूल या ऐसी संस्था, चाहे उसे किसी भी गाग सो पुकारा जाय, से है जो ववरायिक पन्युयक्रग चला रही हो और उपाधि. डिप्लोमा या प्रभाण-पत्र चाहे उसे किरी गी चाल से पुकारा जाय. प्रदान कर रही हों।
(च) "गागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्थ उतसर प्रदेश लोक संवा (अनुसूचित जातियों, अनुरूचित जनजातियों और अःय पिछड़े वगों के लिए आरहषण) अधिनियम. 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिप्ट नाधिरिकों के पिछड़े वर्गो सो हो:
(छ) "निजी संस्था" का तात्पर्य किरी ऐसी शैष्धाणिक सरंस्था से है जो राजय या किसी साव्वजनिक लिकाय द्वारा रथापित या अंुरक्षित जो हो.
(ज) "व्यक्सायिक पावृ्यक्रण" का तार्पर्य राक्षग रांविधिक लिकाय द्वारा व्यववस्मयिक पाठ्यक्यम के रूप में अधिसूचित पाड़्यक्रश से है जिसमें उप्वाधि.
 जाता हो।
(झ) आरक्षित सीट का तात्पर्य अनुसूपित। जातियों. अनुखूवित जनजजातियों या चागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरहिते किसी रीटंत रो हैं:
(ग) "स्वीकृत अन्तर्ग्रहण" का तात्पर्य और.अर्ध राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत सीटों की कुल संख्या से है जो किसी संख्था में प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए हो;
(ट) "राज्य विश्वविद्यालय" का तात्पर्य राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय से हो;
(ठ) "गैर-सहायता प्राप्त संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी निजी शैक्षणिक संस्था से है जो सहायता प्राप्त संस्था न हो।
(ड) "अनारक्षित सीट" का तात्पर्य आरक्षित सीटों से भिन्न सीटों से है।
4-(1) भारत का संविधान के अनुछ्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, जिसके अन्तर्गत निजी शैक्षणिके संस्थाएं भी हैं, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त हों, में प्रवेश हेतु रवीकृत अन्तर्ग्रहण। के जिसके लिये किसी शैक्षिक वर्ष में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वंग्रों के व्यक्तियों के पक्ष में प्रवेश दिया जाना है. प्रवेश के सत्तर पर निम्नलिखित प्रतिशत में, आरक्षण होगा--
(क) अनुसूचित जातियों के मामले में
(ख) अनुसूचित जन-जातियों के मामले गें
(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के गामले में

इक्कीस प्रतिशत
दो प्रतिशत
सत्ताइस प्रतिशतं
(2) किसी शैक्षिक वर्ष के सम्बन्ध में यदि उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी हुई रह जाती है तो उसी श्रेणी से संम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए दूसरा विशेष प्रवेश अभियान चलाया जाएगा;
(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान में अनुसूचित जनजालियों के उपर्युक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिएं उपलब्ध न'हो तो ऐरी रिक्ति को अनुसूचित ज़ातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों से भरां जाएगा;
(4) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित सीटों में से कोई सीट उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के पश्चात भी बिना भरे रह जाती है तो ऐसी रिक्ति को योग्यता के आधार पर किसी अन्य उपयुक्त अभ्यर्थी से भरा जाएगा;
(5) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बध्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्यी के रूपे में चयनित होता है और यदि वह सामान्य अभ्य्यर्थी के रूप में बना रहना चाहता है तो उसें उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगां।

5 -राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा संरथा के प्रधान या संस्था के किसी अधिकारी या कर्म्मचारी को इस अधिनियम के उपबन्धों कें अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्त्रददायित्व सौंप सकती है।

6-(1) संस्था का कोई प्रधान या संर्था का कोई अधिकारी या कर्भचारी जिसे धारा 5 के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है इस अधिनियम के प्रयोजनों का. जान-चूूकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह कारावास से जों तीन मास तक हो सकेगा. या जुर्म्निे से जो एक हुजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा:

अनुसूचित जानियों, अनुरूचिः जन-जातियों और अन्य जिछड्ड वग्रों के लिए आरक्षण

अधिनियम के अनुपालन के लिए सलतरदावित्य और शांदे।

शरित ओं
सम्बद्धार का वापस लिया जाना.
(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की. पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा;
(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीयं किसी अपराध का विचारण. किसी महानगर गंजिर्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किरी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा. संक्षेपतः किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता. 1973 की 262 की उपधारा (1). धाऱ 263. धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यश्नावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे;
(4) जहां राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या किरी प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी संस्था ने इस अधिनियम के किसी उपबंध या तद्धीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों या आदेशों का उल्लधंन किया है तो वह ऐसी संस्था की सम्बद्धता या मान्यता को वापस लेने के लिए समुचित सांविधिक निकाय को सिफारिश कर सकती है।

अभिलेख मांगने की शक्ति

प्रवंश समिति

सीति भ्राण-पत्र

कहिनाइंयों को दूर


यद्यास्यूर्वक की कार्याही का $\because$

कंश्रों इत्यादि का \%: जान
†ิ:रसन और जबवाद

7-यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह वात आती है कि धारा 4 की उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं भी श्रेणियों का कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों या तदधीन बनाये गये नियमों का सरकार के आदेशों का अनुपालन न करने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को सम्वधित संर्था से मांग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो वह आवश्यक समझे।

8 -राज्य सरकार, आदेश द्वारा प्रवेश समिति में. ऐे्सी सीमा तक और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय. अनुसूचित जातियों या अनुरूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकाशियों के नाम-निर्देशन की व्यवस्था कर सकती है।

9-इस अधिनियम के अधीन उपबधित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए प्रगाण-पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए. द्वारा और ऐसी रीति और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा।

10 -यदि इस अधिनियम के उपबन्ध को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य रारकार. अधिसूचित आटेश़ द्वारा. ऐसा उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

11-इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

13 -धारा 5 और धारा. 9 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश को यथाशीध राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश राधारण खण्ड अधिनियभ, 1904 की धारा $23-$ क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीज राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के. सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

14-(1) उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं गें प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिए आरक्षण) अध्यादेश. 2006 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर पदेश , अध्यादेश संख्या 2 सन् 2006
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी. उपधारा (1) में निर्दिप्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी ममानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवांन समय पर प्रवृत्त थे।

## उद्देश्य और कारण

संविधान के 93 वें संशोधन द्वारा राज्य सरकारों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे अनुसूंचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए भारत का संविधान के अन्चुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न शैक्षणिक संर्थाओं, जिनके अन्तर्गत निजी शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त्त हों, में प्रवेश के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था कर सकती हैं। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त व्यक्तियों के पक्ष में उक्त शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने के लिए विधि बनाई जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्चित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2006 को उत्तर प्रदेश शैक्षणिकंक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2006) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुर:स्थापित किया जाता है।

$$
\begin{gathered}
\text { No. } 1043 \text { /VII-V-l-1(ka)21-2006 } \\
\text { Dated Lucknow, September 8, } 2006 \\
\text { NOTIFICATION } \\
\text { MISCELLANEOUS }
\end{gathered}
$$

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shaikshanik Sansthon Me Pravesh (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon'Aur Anya Pichhare Vergon Ke Liya Arakshan) Adhiniyam. 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 7, 2006.

THE UTTAR PRADESH ADMISSION TO EDUCATIONAL INSTITUTIONS RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDLED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) ACT, 2006

$$
\text { (U.P. Act No. } 23 \text { of } 2006 \text { ) }
$$

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

## AN

## ACT

to provide for the reservation in admission to educational institutions including private educational institutions,whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 If the Constituion of India. in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizen and for matters onnected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as ollows:-
1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Admission to Educational hstitutions (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward

Shor title and commencement lasses) Act, 2006.
(2) It shall be deemed to have come into force on July 10, 2006

Applicability

Definitions
2. This Act shall apply to all admissions taking place in Educational Institutions, including private Educational Institutions, whether Aided or unaided by the State, other than the Mionrity Educational Institutions referred to in clause (1) of the Article 30 of the Constitution of India.

## 3. In this Act, unless the context otherwise requires,

(a) "academic year, in relation to an admission" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calender year within which the process of admission is initiated;
(b) "aided institution" means a private educational institution, excluding minority institution, receiving recurring grants-in-aid or financial assistance in whole or in part from the State Government or from any body under the control of State Government disbursing grants-in-aid or financial assistance:
(c) "general candidate" means a candidate selected on the basis of merit on an unreserved seat;
(d) "Head of the institution" means the President or the Manager or the Secretary of a society running the institution and includes the Director, the Principal or any Administrative Head of the institution;
(e) "educational institution" means-
(i) a college or a school or an institution, by whatever name called, imparting education approved or recognized by a competent Statutory Body and affiliated to a State University, including a Private University established or incorporated by an Act of the State Legislature or a constituent unit of a deemed to be University defined under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 imparting education.
(ii) a college or a school or an institution, by whatever name called, imparting professional courses, approved or recognized by the Competent Statutory Body leading to the award of a degree, diploma or a certificate, by whatever name called.
(f) "other backward classes or citizens" means the Other Backward Classes or Citizens specified in the Scheduled-i to the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.
(g) "Private Institution"-means an educational institution not established or maintained by State Government or any Public Body;
(h) "Professional Course" means a course of study notified as a professional course by the Competent Statutory Body leading to the award of a degree, diploma or certificate by whatever name called;
(i) k'Reserved Seat" means a seat reserved for the Scheculed Castes, Scheduled Tribes or other backward classes of citizens;
(j) "Sanctioned Intake" means and inplies the total number of seats sanctioned by an authority notified by the State Government for admitting students in each course of study in an Institution;
( $k$ ) "State University" means a University established or incorporated by an Act of the State Legislature;
(l) "Unaided Institution" means a private Educational Institution, not being an Aided Institution;
( $m$ ) "Unreserved Scat" means a seat other than reserved seats.
4. (1) In admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, there shall be reservation at the stage of admission in the following percentage of sanctioned intake to which admission is to be made in favour of person belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizens, in the academic year-
(a) in the case of Scheduled Castes
(b) in the case of scheduled Tribes
(c) in the case of other backward classes of citizen
(2) In respect of any academic year if any vacancy recerved for any category of persons under sub-section (1) remains unfiled, another special admission drive shall be made to fill such vacancy from amongst the person belonging to that category.
(3) If in the special admission drive referred to in sub-section (2) suitable candidates belonging to the Scheduled Tribes are not available to fill the vacancy reserved for them, such vacancy shall be filled by persons belongings to the Scheduled Castes.
(4) Where, due to non-availability of suitable candidates, any of the seats reserved under sub-section (1) remains unfilled even after special admission drive referred to in sub-section (2), or sub-section (3), then such vacancy shall be filled'by any other suitable candidate, on the basis of merit.
(5) If a person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) gets selected on the basis of merit as a general candidate; and if he wants to remain as a general candidate, then he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such category under sub-section (1).
5. The State Government may, by a notified order, entrust the Head of the Institution or any officer or employee of the Institution with the responsibility of ensuring the compliance of the provision of this Act.
6. (1) Any Head of the Institution or any officer or employee of the institution entrusted with the responsibility under section 5 wilfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purposes of this Act shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.
(2) No court shall take cognizance of an offence under this section except with the previous sanction of the State Government or an officer authorized in this behalf by the State Government by an order.
(3) An offence punishable under sub-section (1) shall be tried summarily by a Metroplitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class and the provisions of sub-section (1) of section 262, section 263, section 264 and section 265 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall mutatis mutandis apply.
(4) Where the State Government or any officer or an authority authorised by it is satisfied that any institution has violated any provision of this Act or the rules or the orders made thereunder by the State Government, it may recommend to the appropriate statutory body for the withdrawal of the affiliation for recognition of such institution.
7. If it comes to the notice of the State Government that any person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) of section 4 has been adversely affected on account of non-compliance of the provisions of this Act or the rules made thereunder or the Government orders, it may call for such records from the concerned institution and take such action as it may consider necessary.

Rescrvation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes

Responsibility and powers for compliance of the Act

Penalty and withdrawal of affiliation

Power to call for record.

Admission
Committee
8. The State Government may, by order, provide for nomination afferos for giving representatlon to the scherder, provide for nomination of/effee backward classes of citizen in the Acheduled Castes, Scheduled Tribes and anto manner as may be prescribed
Caste cercificate

Removal of difficultics

Protection of action taken in good failh

Power to make rulcs

Laying of Order etc.

## Repeal and <br> saving

9. For the purpose of reservation provided under this Act, caste certificate shall be issued by such authority or officer as may be notified by the State Government and in such manner and in such form as the State Government may, by order, provide.
10. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an notified order, make Such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient fon removing the difficulty.
11. No suit, prosecution or any other legal proceeding shall lie against the Stak done, in pursuance of this Act or the rules made thereunder.
12. The State Government may, by notification, purpose of this Act. 13. Every order made under section 5 and section 9 shall be laid, as soon as
may be, before both the Houses of the State Legislature and the prion (1) of section section (1) of section 23-A of the State Legislature and the provisions of subthey apply in respect of rules Utlar Pradesh General clauses Act, 1904 shall apply as Act. 14. (1) The Uttar Pradesh Admission to educational institutions
(Reservation for Schedule Castes Schedule tribes and other classes) Ordinance, 2006 is hereby repealed.
U.P. Ordinance no. 2 of 2006
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government have been empowered by the Constitution Ninety-third Amendment to make special provisions regarding admission to the educational institution Ninety-third Amendment to institutions, whether aided or unaided by the State other than that institution including private educational to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of Indian minority educational institutions referred Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other backward India in favour of the persons belonging to the make a law to provide for the reservation in admissward Classes of citizen. It was, therefore, decided to said persons. implement the aforesaid decission, the Uttar Pradesh and immediate Lagislature action was necessary to for Schedule Castes. Schedule Tribes and other Back Admission to Educational Institution (Reservation 2 of 2006)was promulgated by the Govemor on July 10, 2006 . Olasses) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance no. This Bill is intriduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,<br>R. M. ChaUHAN, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 1114 राजपत्र (हि०)-2006-(1698)-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)। पी०एस०यू०पी० ए०पी० 130 सा०विधा०-2006-(1699)-850 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेशा 

## उत्चर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

## भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर :प्रदेश अध्यादेश)
लखनऊ, बुघवार, 10 जनवरी, 2007
पौष 20, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार<br>विधायी अनुभाग-1<br>संख्या $26 / 79-$ वि०-1-1(क) $21 / 2006$<br>लखनऊ, 10 जनवरी, 2007<br>

विधायी अनुभाग-1 की दिनांक 8 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 1043/सात-वि-101 (क) $21 / 2006$ द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश शैक्षिणक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण़) अधिनियम, 2006 के हिन्दी पाठ में धारा-11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा पढ़ी जाय :-

नियम बनाने की शक्ति
" 12 -राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियेम बना सकती है !"

आज्ञा से, वीरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव ।

पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 3337 राजपत्र-(हिन्दी)-2007-(7033)-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर /आफसेट)। पी०एस०यूं०पी०-ए० पी० 211 सा० विधायी-2007-(7034)-850 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

